MAH/MUL/ 03051/2012 ISSN :2319 9318

आंतरविद्याशाखीय बहुभाषिक संशोधन पत्रिका

विद्यावार्ता

UGC Approved Jr.No.62759

Oct. To Dec. 2017
Issue-20, Vol-06

Editor
Dr. Bapu g. Gholap
(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

विद्येविना मति गेली, मतीविना नीति गेली
नीतिविना गति गेली, गतिविना वित्त गेले
वित्तविना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले

-महात्मा ज्योतीराव फुले

❖ विद्यावार्ता या आंतरविद्याशाखीय बहूभाषिक त्रैमासिकात व्यक्त झालेल्या मतांशी मालक, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक सहमत असतीलच असे नाही. न्यायक्षेत्र:बीड

"Printed by: Harshwardhan Publication Pvt.Ltd. Published by Ghodke Archana Rajendra & Printed & published at Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.,At.Post. Limbaganesh Dist,Beed -431122 (Maharashtra) and Editor Dr. Gholap Bapu Ganpat.

Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205
Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed
Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295
harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com
All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors / www.vidyawarta.com

27) आदिवासी बहुल्य क्षैत्र में देजला–देवाड़ा के मध्यम से सिंचाई परियोजना द्वारा कृषि स्वरूप || 112
डॉ.आर.आर.गोरास्या, प्रो.सुरेश अवासे, उज्जैन म.प्र.

28) शिक्षित युवा वर्ग में व्याप्त मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव || 117
डॉ. रूक्मिणी चौधरी,

29) अछूत उपन्यास:एक विश्लेषण || 120
डॉ. धर्मेन्द्र कुमार, मऊरानीपुर (झाँसी) उ.प्र.

30) चीफ की दावत :समय समाज और भीष्म साहनी || 124
डॉ. धर्मेन्द्र कुमार, मऊरानीपुर (झाँसी)

31) अल्मोड़ा जनपद की शाक्त–प्रतिमाऐं || 127
डॉ. मदन मोहन जोशी, हल्द्वानी,(उत्तराखण्ड)

32) मनोभाषिकी (Psycholinguistic) || 131
ललित मोहन पन्तोला, भोपाल, मध्य प्रदेश

33) दलित साहित्य की अवधारणा एवं उसका स्वरूप || 134
डॉ. हेम कान्त पंडित,दुमका, झारखंड

34) मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण || 139
डॉ. (श्रीमती) अभिलाषा सैनी, डॉ. (श्रीमती) मंजुलता कश्यप, जांजगीर

35) भारत में मानवाधिकार : ऐतिहासिक एवं साहित्यिक परिप्रेक्ष्य || 142
रविकान्त प्रसाद, हजारीबाग

36) बौद्व धर्म में आधुनिकता (कुमाऊँ के विशेष संदर्भ में) || 147
डॉ. प्रेम मर्तोलिया, रामनगर, नैनीताल

37) समसामयिक परिप्रेक्ष्य में थर्ड जैंडर विमर्श || 149
डॉ. दीप्ति, अमृतसर, पंजाब

38) भारतीय किसान की बदलती तस्वीर || 152
डॉ. विश्वनाथ पाण्डेय, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड

39) 'जगमग दीपज्योति' पत्रिका में अभिव्यक्त सांस्कृतिक चेतना || 155
श्रवण कुमार खोड़ा, प्रो.(डॉ.) कुसुम शर्मा जयपुर

www.vidyawarta.com/03 | http://www.printingarea.blogspot.com

मिलता है । मठो के भीतर का दश्श्य भी अब हिन्दू मन्दिर के समान देवी देवताओ के चित्र एंव मूतियों के समान ही बौद्व धर्मावलम्बियो द्वारा अपने गुरूओं देवी तारा आदि की मूर्तियों एंव चिन्हो से भरे पड़े है।

आमोद प्रमोद और मनोरंजन के साधन में भी आधुनिकता दृष्टि गोचर होती है। प्राचीन काल में बौद्व भिक्षुओ का खेल ऐसा होता था जो उन्हे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती थी। परन्तु वर्तमान में जिस प्रकार आज के छात्र—छात्राऐ घर मे बैठे बैठे खेल खेलते है जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर में खेल, कैरमबोर्ड° लूडो आदि वैसे ही बौद्व भिक्षुओं को मैंने अपने शोध सर्वेक्षण के दौरान खेल में लिप्त पाया।

उपरोक्त विश्लेषण मात्र इसलिए किया गया है कि आज वर्तमान में बौद्व भिक्षुओं और गुरूओं को फिर से ऐसे नियम उपनियम बनाने की आवश्यकता है जो भविष्य के बौद्व भिक्षुओं को भीतर से सादगी पसन्द और समाज सेवक के रूप में समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनने में सहायक हों। अब प्राचीन काल के वे शब्द 'बुद्वम् शरणं गच्छामि, धम्मम् शरणं गच्छामि, संघम् शरणं गच्छामि, की ध्वनि करते हुए बौद्व भिक्षु भिक्षा मागते थे जो उन्हें विन्रम बनाने में सहयोगी होती थी, सुनने को नहीं मिलती। उत्तराखण्ड के कुमाऊँ मडण्ल स्थित नैनीताल, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि बौद्व मठों के सर्वेक्षण के दौरान पुछने पर अब इस प्रकार की प्रवृति से बौद्व भिक्षुओं ने मना कर दिया। मुझे यह भी प्रतीत हुआ कि ये बौद्व भिक्षु—भिक्षुणी अपने रहने के स्थान तक ही सीमित हैं। समाज से भी अलग—थलग ही रहते हैं। किसी ने पूजा के लिए बुलाया तो वे चले जाते हैं। किन्तु कोई तकलीफ या परेशानी में हो तो वे कोई ध्यान या मदद नहीं करते। जिस मानव सेवा और सहयोग के साथ—साथ आत्म सन्तुष्टि का उपदेश भगवान बुद्व ने दिया था। वह वर्तमान के इन बौद्व भिक्षुओं में नहीं दिखाई देती। भारत देश में पैदा और फलीभूत इस धर्म के मुख्य भाव को आज बचाने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची : १."Even if judged from the posthumous effects on the world at large he was certainly the greatest man to have been born in India"-A.L Basham, the wonder that was India-

२. संयुक्त (रो.) जि.२ पृ. ३९.४०, अगुन्तर (रो.) जि. २ पृ. १५७.१५८

३. अभिधमकोश, ४.१

37

समसामयिक परिप्रेक्ष्य में थर्ड जैंडर विमर्श

डॉ. दीप्ति
सहायक प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, हिन्दू कॉलेज,
अमृतसर, पंजाब ।

पुरातन काल से ही समाज में स्त्री और पुरुष—इन दो लिंगों के अतिरिक्त तीसरे लिंग अर्थात् किन्नर का अस्तित्व प्रामाणित है। किन्नर, जिन्हें हम आजकल थर्ड जेंडर के नाम से जानते हैं। थर्ड जेंडर से अभिप्राय उन व्यक्तियों से हैं, जिनके लिंग पूरी तरह विकसित नहीं होते। इसके अतिरिक्त कुछ स्त्री स्वभाव के पुरुष, जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के बीच अधिक सहज अनुभव करते हैं तथा जो व्यक्ति पुरुष और स्त्री की श्रेणी में न आने के साथ—साथ किसी से सम्बन्ध बनाने या गर्भधारण करने में अक्षम होते हैं, वे थर्ड जेंडर की श्रेणी में आते हैं । भारत में इस समुदाय से जुड़े कुछ किन्नर केवल डेरों में ही निवास करते हैं। असली फकीर का दर्जा प्राप्त ये किन्नर किसी शुभ अवसर पर परिवारवालों से बधाई माँगते हैं । इन्हें महंत जी, भाई जी, या नायक की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। कुछ किन्नर सार्वजनिक स्थलों, जैसे — बाज़ारों, रेलवे स्टेशनों या बस स्टैंड पर माँगते हुये दृष्टिगोचर होते हैं । कुछ पुरुष रूपयों के लालच में नकली किन्नर बनकर माँगते हुए परिलक्षित होते हैं परन्तु इन नकली किन्नरों को असली फकीरों के डेरे में प्रवेश की अनुमति नहीं होती ।

प्राचीन समय में भी किन्नरों का अस्तित्व था, जिसका प्रमाण हमें पौराणिक आख्यानों में मिलता है। 'महाभारत' में भीष्म पितामह का अन्त शिखण्डी नाम के हिजड़े के कारण ही सम्भव हुआ था । पाण्डवों के १२ वर्षों के बनवास के पश्चात् अन्तिम अज्ञातवास के एक वर्ष में अर्जुन ने सबसे छिपने के लिये

'बृहन्नला' नामक हिजड़े का रूप धारण किया था । इसी प्रकार मुगल काल में राजा अपनी पत्नियों के निवास स्थान 'हरम' में इनकी विशेष रूप से नियुक्ति करते थे । यौन अक्षमता के कारण इन्हें 'हरमों' की निगरानी के लिये विशेषयता उपयुक्त समझा जाता था । परन्तु ब्रिटिश राज्य में इनके विरूद्ध अन्यायपूर्ण निर्णय लेते हुए सन् १८७१ में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास हुआ जिसके अन्तर्गत इन पर अनेक प्रतिबन्ध लगे। सन् १८९७ में चाहे इस अधिनियम में संशोधन किया गया। परन्तु इन्हें 'अपराधी श्रेणी' में रखकर इनकी गतिविधियों को 'रजिस्टर' में दर्ज करके इन पर नज़र रखने का फैसला लिया गया और धारा ३७७ के अनुसार इनके कश्त्यों को गैर जमानती अपराध के अन्तर्गत रखा गया।

१५ अगस्त, १९४७ को स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् आज़ाद भारत में चाहे इन्हें जरायमपेशा श्रेणी से निकाला गया परन्तु धारा ३७७ का प्रतिबन्ध इन पर कायम रहा। आजादी के बाद भी इनकी पहचान को स्वीकशति नहीं मिली, जिस कारण इन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था । नवम्बर, २००९ में भारत सरकार ने इस समुदाय की अलग पहचान को मान्यता देते हुये निर्वाचन सूची एवं मतदाता पहचान पत्रों पर 'अन्य' की संज्ञा दी ।

परन्तु यथार्थ तो यह है कि आज भी समाज के लोगों का इनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण ही है। आज भी लोग इस समुदाय के लोगों के दुःख–दर्द तथा मानसिक परेशानी को समझने का प्रयत्न भी नहीं करते । इनके लिंग पहचान को मान्यता न देकर सार्वजनिक स्थलों जैसे रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, स्कूलों, कार्यस्थलों, अस्पतालों इत्यादि में इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है । इस समुदाय के लोगों को गालियां दी जाती हैं तथा इनका अपमान किया जाता है । साधारण लोग इनसे किसी प्रकार का भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं करते। वे तो उनके साथ अछूतों की तरह व्यवहार करते हुये किसी प्रकार का सामाजिक रिश्ता नहीं रखना चाहते, यहां तक कि उनसे बात करने के भी इच्छुक नहीं होते । आम लोगों की उपेक्षित एवं घृणित दृष्टि और अपमान तीसरे लिंग के समुदाय के लोगों को सहन करना पड़ता है।

हालांकि भारतीय संविधान में तीसरे लिंग के समुदाय के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव न रखते हुये अनुच्छेद १४ में जहां सभी भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है, वहीं अनुच्छेद २१ में समान सुरक्षा का अधिकार भी दिया गया है परन्तु जिस तरह समाज के पुरुष व स्त्री इस समुदाय के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वह अनुच्छेद १४ व अनुच्छेद २१ में दिये गये अधिकारों का उल्लंघन है। तीसरे लिंग के लोगों को अपने दैनिक जीवन में मूलभूत विभिन्न क्षेत्रों में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इस समुदाय के लोगों की सामाजिक और सांस्कशतिक गतिविधियों में प्रतिभागिता पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके साथ–साथ उन्हें शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसी तरह इस समुदाय के लोगों को चुनाव में वोट डालने, लाइसेन्स इत्यादि क्षेत्रों में भी भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। बात यहीं तक सीमित नहीं, इस समुदाय के बहुत से लोग यौन शोषण का भी शिकार होते हैं, यौन दुर्व्यवहार तथा उत्पीड़न को भी सहन करते हैं। इस समुदाय के प्रति ऐसा अमानवीय व्यवहार व नाकारात्मक दृष्टिकोण कहां तक उचित है?

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस समुदाय की दयनीय दशा पर ध्यान देते हुये सुधार हेतु कई निर्णायक फैसले दिये हैं । उन्होंने १५ अप्रैल, २०१४ को ट्रांसजेंडर्स समुदाय संबंधी आज्ञा–पत्र में इनके हित की सुरक्षा हेतु निर्णय लिये। उन्होंने यह निर्णय दिया कि "TG May also takes in persons who do not identify with their sex assigned at birth, which include Hijras/ Eunuchs who, in this writ petition, describe themselves as "third gender" and they do not identify as either male or female."[1]

इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस समुदाय को 'थर्डजेंडर' की मान्यता देते हुये इन्हें बड़ी राहत दी । इसके साथ ही उन्हें निर्णय द्वारा यह अधिकार दिया गया कि "Every person of TG community has a legal right to decide their sex orientation and to espouse and determine their identity."[2] निःसन्देह थर्डजेंडर समुदाय के

लोगों को सेक्स उन्मुखीकरण निश्चित करने और अपनी पहचान निर्धारित करने के कानूनी अधिकार देने से यह समुदाय लाभान्वित हुआ है। इसके साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि "Kinnar community are the most deprived group of transgenders and calls for constitutional as well as legal protection for their identity and for other socio-economic benefits, which are otherwise extended to the members of the male and female genders in the community."[3]

इस प्रकार किन्नर समुदाय को उनकी पहचान एवं सामाजिक आर्थिक लाभों के लिये प्रदत्त सवैंधानिक एवं कानूनी सुरक्षा का सर्वोच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय थर्डजेंडर की वर्तमान दशा में सुधार के लिये अति हितकारी सिद्ध होगा । इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला भी ऐतिहासिक है कि, "Transgender persons have to be declared as a socially and educationally backward classes of citizens and must be accorded all benefits available to that class of persons, which are being extended to male and female genders."[4] इस प्रकार प्रस्तुत निर्णय से ट्रांसजेंडर्स को सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग के नागरिक घोषित करने और उसके अनुसार प्रदत्त सभी लाभ निश्चित रूप से उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में कारगर सिद्ध होंगे ।

नि:सन्देह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा थर्डजेंडर की दशा सुधारने हेतु लिये गये उपरोक्त श्लाघनीय निर्णयों से थर्डजेंडर को कई अधिकार व सुविधाएं मिली हैं, परन्तु समाज में इन्हें सम्मानजनक स्थान देने के लिये आवश्यक है कि मीडिया के द्वारा लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जाये ताकि आम लोग यह समझ सके कि थर्डजेंडर समुदाय भी उनके सामाजिक जीवन का अंग है तथा उनके साथ अछूतों की तरह नहीं बल्कि सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिये । इसके साथ ही इन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें देने के लिये डॉक्टर और नर्सों को विशेष प्रशिक्षण देना चाहिये ताकि वे उनकी मानसिक और शारीरिक समस्याओं का बेहतर ढंग से निवारण कर सके। इसके साथ ही लिंग बदलाव की सर्जरी की सुविधा भी दी जानी चाहिये । इसके अतिरिक्त उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु शिक्षा, रोज़गार आदि क्षेत्रों में इनको बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने चाहिये । इसके साथ ही इनकी सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी भी सुनिश्चित करनी चाहिये । आशा है कि इन आवश्यक कदमों के उठाये जाने से आने वाले समय में वे आनन्द से अपने अधिकारों व सुविधाओं के उपभोग के साथ–साथ समाज में भी सम्मानजनक एवं गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेंगे।

सन्दर्भ :–

1) National Legal Services Authority.. Petitioner Versus Union of India and others .. Respondents with WRIT PETITION (CIVIL) NO. 400 OF 2012 and WRIT PETITION (CIVIL) NO. 604 OF 2013 .. JUDGEMENT BY SUPREME COURT OF INDIA.. Page no. 9

2) National Legal Services Authority.. Petitioner Versus Union of India and others .. Respondents with WRIT PETITION (CIVIL) NO. 400 OF 2012 and WRIT PETITION (CIVIL) NO. 604 OF 2013 .. JUDGEMENT BY SUPREME COURT OF INDIA.. Page no. 3

3) National Legal Services Authority.. Petitioner Versus Union of India and others .. Respondents with WRIT PETITION (CIVIL) NO. 400 OF 2012 and WRIT PETITION (CIVIL) NO. 604 OF 2013 .. JUDGEMENT BY SUPREME COURT OF INDIA.. Page no. 6

4) National Legal Services Authority.. Petitioner Versus Union of India and others . Respondents with WRIT PETITION (CIVIL) NO. 400 OF 2012 and WRIT PETITION (CIVIL) NO. 604 OF 2013 .. JUDGEMENT BY SUPREME COURT OF INDIA.. Page no. 5

❖❖❖